और प्रत्यर्थी को अदालती कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान इससे वंचित कर दिया गया है।यदि पक्षकारों ने न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना बेचने का समझौता किया होता, तो यहाँ प्रतिवादी को उक्त राशि बहुत पहले प्राप्त हो जाती और किसी भी मामले में दोष उस वर्ष 1996 के बाद उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जब वह विद्वत विचारण न्यायालय में सफल हुआ था।यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी भी पक्ष को अदालत के समक्ष लंबित कार्यवाही के कारण नुकसान नहीं उठाना चाहिए।मैंने पक्षों के बीच इक्विटी को संतुलित करने के लिए उपरोक्त ब्याज दर प्रदान की है और विशेष रूप से कि इसमें प्रतिवादी नीचे दी गई अदालतों के समक्ष सफल हुआ था।

(20) तदनुसार, उपरोक्त शर्तों में इस अपील की अनुमति है।मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

आरएनआरयाणा राज्य और अन्य,-याचिकाकर्ता

बनाम

वजीर चंद,-प्रतिवादी

1999 की सी. आर. सं. *5640*

10अगस्त, 2000

एम. एल. सिंघल के समक्ष जे.

हरि

सीमा अधिनियम, *1963*-धारा 5-राज्य सरकार द्वारा अपील दायर करने में देरी-प्रथम अपीलकर्ता न्यायालय द्वारा विलंब की माफी के लिए आवेदन को अस्वीकार करना -क्या अपीलकर्ता न्यायालय को धारा *5* के तहत अपील को खारिज करने के बाद अपील के गुणागुण में जाने का अधिकार क्षेत्र है-नहीं।

अभिनिर्णित, राज्य किसी भी अन्य वादी की तरह है।यदि राज्य किसी अन्य वादी की तरह है, तो राज्य को तरजीही नहीं दि जा सकती। प्रत्येक वादी, चाहे वह राज्य हो या व्यक्ति, समान व्यवहार का हकदार है।यह निर्धारित करने के लिए कि क्या अपील दायर करने में सीमा से परे पर्याप्त कारण है, वही पैमाना राज्य पर लागू नहीं होना चाहिए जो किसी अन्य व्यक्ति के मामले में लागू होता है क्योंकि जब राज्य द्वारा अपील दायर की जानी होती है, तो अपील दायर करने का निर्णय किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्तर पर नहीं लिया जाता है।मामला कई हाथों से गुजरने के बाद अपील दायर करने का निर्णय लिया जाता है।जब मामला कई हाथों से गुजरता है, तो हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते कि किसी न किसी अधिकारी के स्तर पर कुछ देरी हो सकती है।

(पैरा 3)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि अपील दायर करने में देरी को माफ नहीं किया जाता है, तो गुणागुण पर एक अच्छा हेतुक विफल हो सकता है और अपील दायर करने में देरी से अन्याय कायम रह सकता है।अपील दायर करने में देरी से राज्य को कोई लाभ नहीं हुआ।अपील के गुण-दोष में सुधार नहीं होता, अगर अपील समय पर दायर की जाती तो अपील के गुणागुण वैसे ही बने रहते।

(पैरा 4)

एस. एस. मत्तेवाल, याचिकाकर्ता की ओर से अतिरिक्त ए. जी. हरियाणा।

प्रत्यर्थी के लिए कोई नहीं।

निर्णय

एम. एल. सिंघल, जे. *(मौखिक)*

(1) हिसार के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने 31 जुलाई, 1999 के आदेश के माध्यम से हरियाणा राज्य द्वारा अपील दायर करने में विलंब के लिए माफी देने को इनकार कर दिया और विलंब के लिए माफी देने के लिए सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत उनके आवेदन को खारिज कर दिया।उसी दिन के एक अन्य आदेश में, उन्होंने अपील के गुणागुण पर गौर किया और गुणागुण के आधार पर इसे खारिज कर दिया।हरियाणा राज्य ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, हिसार द्वारा विलंब के लिए माफी देने से इनकार करने और योग्यता के आधार पर अपील को खारिज करने के खिलाफ इस न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए आए है।

(2) हरियाणा के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने निवेदित किया कि जब अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, हिसार ने विलंब के लिए माफी देने के लिए सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर हरियाणा राज्य के आवेदन को खारिज कर दिया था, तो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पदकार्य-निवृत बन गए और वह अपील के गुणागुण को बिल्कुल नहीं छू सकते थे। उन्हेंने निवेदित किया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा योग्यता के आधार पर अपील को खारिज करना अधिकार क्षेत्र के बिना है और गैर-कानूनी है।मुझे लगता है कि हरियाणा के विद्वान अतिरिक्त ए. जी. द्वारा किया गया निवेदन सही है।अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा विलंब के लिए माफी देने से इनकार करने के बाद, वह केवल इतना कह सकते थे कि विलंब के लिए माफी देने के लिए हरियाणा राज्य की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अपील खारिज कर दी गई है।

(3) 27 दिनों की विलंब के बाद हरियाणा राज्य द्वारा अपील दायर की गई थी। विलंब को माफ करने की प्रार्थना के समर्थन में, हरियाणा राज्य ने अभिकथित किया है कि विधि परामर्शी, हरियाणा ने 30 दिसंबर, 1998 के आदेश के माध्यम से जिला अटॉर्नी को अपील दायर करने का निर्देश दिया था और जिला अटॉर्नी ने 12 जनवरी, 1999 के आदेश के माध्यम से हिसार के मंडल वन अधिकारी को फैसले और डिक्री की प्रमाणित प्रति भेजने के लिए कहा था।अपील 25 जनवरी, 1999 को दायर की गई थी और 12 जनवरी, 1999 के बाद 13 दिनों का समय लिया गया था।हरियाणा के अतिरिक्त ए. जी. ने निवेदित किया कि राज्य के विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से मामला भेजने में कुछ समय लगता है और इसलिए, अपील दायर करने में देरी होती है।उन्हेंने निवेदित किया कि अपील दायर करने का निर्णय किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिया जाना है।यह निर्णय विभिन्न व्यक्तियों से गुजरने के बाद लिया जाता है।यदि अपील दायर करने का निर्णय किसी व्यक्ति द्वारा लिया जाना है, तो कोई देरी नहीं हो सकती है, लेकिन यदि मामला कई हाथों से गुजरने के बाद अपील दायर करने का निर्णय लिया जाता है, तो कुछ देरी होने की संभावना है और उस देरी को माफ कर दिया जाना चाहिए और यदि उस देरी को माफ नहीं किया जाता है, तो जनहित को नुकसान होगा। कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, अनंतनाग और एक अन्य बनाम एमएसटी. कटीजी और अन्य[1] में यह अभिनिर्णित किया गया कि "कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत यह माँग करता है कि वादी के रूप में राज्य सहित सभी वादियों के साथ समान व्यवहार किया जाए और कानून को समान तरीके से प्रशासित किया जाए। जब राज्य विलंब क्षमा हेतु आवेदक है तो सौतेला व्यवहार करने का कोई औचित्य नहीं है। वास्तव में एक अवैयक्तिक तंत्र और विरासत में मिली नौकरशाही कार्यप्रणाली के कारण, जिसमें नोट बनाना, फाइल को आगे बढ़ाना और पैसे के मूल्य को आगे बढ़ाना शामिल है, राज्य की ओर से देरी को समझना कम कठिन है,

---

[1] ए.आई.आर. 1987 एस. सी. 1353

हालांकि इसे स्वीकार करना अधिक कठिन है।किसी भी स्थिति में, जो राज्य समुदाय के सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व

करता है, वह वादी के गैर-वांछनीय दर्जे का हकदार नहीं है।इसलिए अदालतों का दृष्टिकोण गुण-दोष पर समान रूप से न्याय करने का होना चाहिए, बजाय उस दृष्टिकोण के जो गुण-दोष पर निर्णय को बाधित करता है।"यह स्वाभाविक है कि राज्य किसी भी अन्य वादी की तरह है।यदि राज्य किसी अन्य वादी की तरह है, तो राज्य को तरजीही उपचार नहीं दिया जा सकता है।प्रत्येक वादी, चाहे वह राज्य हो या व्यक्ति, समान व्यवहार का हकदार है।यह निर्धारित करने के लिए कि क्या सीमा से परे अपील दायर करने में पर्याप्त कारण है, वही पैमाना राज्य पर लागू नहीं होना चाहिए जो किसी अन्य व्यक्ति के मामले में लागू होता है क्योंकि जब राज्य द्वारा अपील दायर की जानी होती है, तो अपील दायर करने का निर्णय किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्तर पर नहीं लिया जाता है।मामला कई हाथों से गुजरने के बाद अपील दायर करने का निर्णय लिया जाता है।जब मामला कई हाथों से गुजरता है, तो हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते कि किसी न किसी अधिकारी के स्तर पर कुछ देरी हो सकती है। पंजाब राज्य और एक अन्य बनाम कुलतार चंद[2] में यह अभिनिर्णित किया गया था कि "राज्य को विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से कार्य करना होता है।जब तक विधि परामर्शी राज्य के संबंधित विभाग को किसी विशेष आदेश/फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति नहीं देता, तब तक विभाग अपने दम पर अपील दायर नहीं कर सकता है।तत्काल मामले में, देरी इसलिए हुई क्योंकि विधि परामर्शी ने मामले में राय देने और अपील दायर करने के लिए संबंधित विभाग को मंजूरी देने के लिए बहुत समय लिया। याचिकाकर्ताओं को किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। विलंब को माफ करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप न्यायहानि होगी क्योंकि पक्षकारों के बीच निर्णय गुणागुण के आधार पर नहीं किया जाएगा बल्कि वास्तव में व्यतिक्रम के चलते किया जाएगा क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने समय के भीतर अपील दायर नहीं की थी।"

(4) यदि अपील दायर करने में विलंब को माफ नहीं किया जाता है, तो गुणागुण के आधार पर एक अच्छा हेतुक विफल हो सकता है और अपील दायर करने में देरी से अन्याय कायम रह सकता है।अपील दायर करने में विलंब से राज्य को कोई लाभ नहीं हुआ।अगर अपील समय पर दायर की जाती तो अपील के गुणों में सुधार नहीं होता।

(5) ऊपर दिए गए कारणों से, इस पुनरीक्षण को स्वीकार किया जाता है।अपील दायर करने में विलंब को माफ कर दिया जाता है। हिसार के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा गुणागुण के आधार पर की गई अपील को खारिज को अपास्त कर दिया गया है।जिला न्यायाधीश, हिसार को निर्देश दिया जाता है कि वे इस अपील की सुनवाई गुणागुण के आधार पर स्वयं करें या गुणागुण के आधार पर निर्णय के लिए हिसार में उनके साथ तैनात एक अन्य अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा इस अपील की सुनवाई की व्यवस्था करें।

आरएनआर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आयुष
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार
हिसार, हरियाणा

---

[2] 1991 एस. सी. टी. 28